लोक शिक्षण संचालनालय
छत्तीसगढ़
विस्तृत विज्ञापन

छत्तीसगढ़ शासन, स्कूल शिक्षा विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, अटल नगर के पत्र कमांक एफ–आर नं. 1103/2019/20–दो अटल नगर दिनांक 09.03.2019 के अनुक्रम में लोक शिक्षण संचालनालय, छत्तीसगढ़ के पत्र कमांक/स्था./विज्ञापन/सीधी भर्ती/2019/422–PA अटल नगर दिनांक 09.03.2019 के द्वारा संक्षिप्त विज्ञापन जारी किया गया था। इस विज्ञापन की ई–संवर्ग तथा टी–संवर्ग वार, राज्य संवर्ग, संभाग संवर्ग तथा जिला संवर्ग के विषयवार रिक्त पदों की पूर्ति हेतु ऑन–लाईन आवेदन पत्र दिनांक 25.04.2019 तक आमंत्रित किये जाते है। विज्ञापित पदों की आवश्यक शैक्षणिक अर्हताएँ, आयु सीमा, आरक्षण, पाठ्यक्रम एवं अन्य महत्वपूर्ण निर्देश निम्नानुसार है–

व्याख्याता–राजपत्रित द्वितीय श्रेणी (वेतन मेट्रिक्स लेवल–09)

क	विषय	संवर्ग	अनारक्षित		अनुसूचित जाति		अनुसूचित जनजाति		अन्य पिछड़ा वर्ग		दिव्यांग हेतु आरक्षित	योग
			मुक्त	महिला	मुक्त	महिला	मुक्त	महिला	मुक्त	महिला		
1	2	3	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	अंग्रेजी	ई–संवर्ग	33	13	25	10	24	9	12	4	7	110
2	रसायन		50	21	14	6	38	16	17	6	11	168
3	वाणिज्य		89	38	26	10	68	29	31	12	21	303
4	गणित		80	34	23	9	61	25	27	11	18	270
5	भौतिक		95	40	27	11	72	30	32	13	22	320
6	जीवविज्ञान		59	25	17	7	45	19	20	8	14	200
	योग		**406**	**171**	**132**	**53**	**308**	**128**	**139**	**54**	**93**	**1371**
1	अंग्रेजी	टी–संवर्ग	89	37	26	10	68	28	30	12	21	300
2	रसायन		59	25	17	7	45	19	20	8	14	200
3	वाणिज्य		74	31	21	9	56	24	25	10	17	250
4	गणित		118	50	34	14	90	38	40	16	28	400
5	भौतिक		93	39	27	11	71	30	31	13	22	315
6	जीवविज्ञान		101	42	29	12	77	32	34	14	23	341
	योग		**534**	**224**	**154**	**63**	**407**	**171**	**180**	**73**	**125**	**1806**

शिक्षक ई–संवर्ग अराजपत्रित तृतीय श्रेणी (वेतन मेट्रिक्स लेवल–08)

क्र	संभाग का नाम	विषय	अनारक्षित		अनुसूचित जाति		अनुसूचित जनजाति		अन्य पिछड़ा वर्ग		दिव्यांग हेतु आरक्षित	योग
			मुक्त	महिला	मुक्त	महिला	मुक्त	महिला	मुक्त	महिला		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	रायपुर	व्यायाम	66	28	15	7	21	8	17	6	11	168
2	दुर्ग		48	20	11	4	14	6	12	5	9	120
3	बिलासपुर		38	15	14	6	21	9	12	5	8	120

4	सरगुजा		5	2	1	0	10	4	3	1	1	26
5	बस्तर		2	0	0	0	5	2	2	0	1	11
	योग		159	65	41	17	71	29	46	17	30	445
1	रायपुर	अंग्रेजी	102	43	24	10	31	13	26	11	19	260
2	दुर्ग		114	48	24	10	35	14	28	12	20	285
3	बिलासपुर		115	48	45	18	65	27	37	15	25	370
4	सरगुजा		10	3	2	0	20	8	5	2	3	50
5	बस्तर		5	1	1	0	17	6	4	1	2	35
	योग		346	143	96	38	168	68	100	41	69	1000
1	रायपुर	जीव विज्ञान	47	20	12	4	14	6	12	5	9	120
2	दुर्ग		66	28	14	6	20	8	17	6	11	165
3	बिलासपुर		53	22	21	8	30	12	17	7	11	170
4	सरगुजा		6	2	1	0	12	5	3	1	2	30
5	बस्तर		2	0	1	0	7	3	2	0	1	15
	योग		174	72	49	18	83	34	51	19	34	500
1	रायपुर	गणित	52	21	12	5	16	6	13	5	9	130
2	दुर्ग		56	24	12	5	17	7	14	5	9	140
3	बिलासपुर		59	25	23	9	33	14	19	8	13	190
4	सरगुजा		5	1	1	0	10	4	3	1	1	25
5	बस्तर		2	0	1	0	7	3	2	0	1	15
	योग		174	71	49	19	83	34	51	19	33	500
1	रायपुर	कृषि	24	10	6	2	7	3	6	2	4	60
2	दुर्ग		9	3	2	1	3	1	3	0	1	22
3	बिलासपुर		5	1	2	0	3	1	2	0	0	14
4	सरगुजा		1	0	0	0	2	0	1	0	0	4
5	बस्तर		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	योग		39	14	10	3	15	5	12	2	5	100
	महायोग		892	365	245	95	420	170	260	98	171	2545

शिक्षक टी संवर्ग अराजपत्रित तृतीय श्रेणी (वेतन मेट्रिक्स लेवल–08)

क्र.	संभाग	विषय	अनारक्षित		अनुसूचित जाति		अनुसूचित जनजाति		अन्य पिछड़ा वर्ग		दिव्यांग हेतु आरक्षित	योग
			मुक्त	महिला	मुक्त	महिला	मुक्त	महिला	मुक्त	महिला	12	13
			4	5	6	7	8	9	10	11		
1	2	3										
1	रायपुर	व्यायाम शिक्षक	8	3	3	0	3	0	3	0	1	20
2	दुर्ग		11	4	3	0	3	1	3	1	1	26
3	बिलासपुर		11	4	5	1	7	2	4	1	2	35
4	सरगुजा		14	5	3	1	28	12	7	3	5	73
5	बस्तर		17	6	4	1	69	29	14	6	10	146
	योग		61	22	18	3	110	44	31	11	19	300
1	रायपुर	कृषि	1	0	0	0	1	0	0	0	0	2
2	दुर्ग		3	0	1	0	1	0	1	0	0	6
3	बिलासपुर		3	0	1	0	1	0	1	0	0	6
4	सरगुजा		3	0	1	0	4	1	1	0	0	10
5	बस्तर		9	3	2	0	34	14	7	3	5	72
	योग		19	3	5	0	41	15	10	3	5	96
1	रायपुर	अंग्रेजी	20	8	5	1	7	2	5	2	3	50
2	दुर्ग		20	8	5	1	7	2	5	2	3	50
3	बिलासपुर		62	26	24	10	35	15	20	8	14	200
4	सरगुजा		73	31	14	6	154	66	40	16	28	400
5	बस्तर		34	14	7	2	141	60	30	12	21	300
	योग		209	87	55	20	344	145	100	40	69	1000
1	रायपुर	गणित	20	8	5	1	7	2	5	2	3	50
2	दुर्ग		20	8	5	1	7	2	5	2	3	50
3	बिलासपुर		62	26	24	10	35	15	20	8	14	200
4	सरगुजा		73	31	14	6	154	66	40	16	28	400

5	बस्तर		34	14	7	2	141	60	30	12	21	300
	योग		209	87	55	20	344	145	100	40	69	1000
1	रायपुर	जीव विज्ञान	20	8	5	1	7	2	5	2	3	50
2	दुर्ग		20	8	5	1	7	2	5	2	3	50
3	बिलासपुर		31	13	12	5	18	7	10	4	7	100
4	सरगुजा		28	11	5	2	59	24	15	6	10	150
5	बस्तर		17	7	4	1	70	30	15	6	10	150
	योग		116	47	31	10	161	65	50	20	33	500
	महायोग		613	246	164	53	1001	414	291	114	195	2896

सहायक शिक्षक (ई–संवर्ग) –विषय विज्ञान अराजपत्रित तृतीय श्रेणी (वेतन मेट्रिक्स लेवल–06)

स. क.	जिले का नाम	अनारक्षित		अनुसूचित जाति		अनुसूचित जनजाति		अन्य पिछड़ा वर्ग		दिव्यांग हेतु आरक्षित	योग
		मुक्त	महिला	मुक्त	महिला	मुक्त	महिला	मुक्त	महिला		
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**
1	महासमुंद	10	4	3	1	6	2	3	1	2	30
2	बलौदाबाजार	84	35	34	14	21	9	24	9	16	230
3	गरियाबंद	22	9	6	2	21	9	8	3	6	80
4	रायपुर	139	59	34	14	9	3	30	12	21	300
5	धमतरी	15	6	3	0	7	3	5	1	2	40
6	कबीरधाम	44	18	12	4	18	7	12	5	8	120
7	बेमेतरा	108	46	29	12	9	3	24	9	16	240
8	दुर्ग	19	7	5	1	2	0	5	1	2	40
9	बालोद	14	5	3	0	9	3	5	1	2	40
10	राजनांदगांव	80	33	17	6	44	18	23	9	16	230
11	बिलासपुर	33	14	12	4	17	6	10	4	7	100
12	मुंगेली	53	22	26	11	12	5	15	6	10	150
13	सक्ती	14	6	7	2	4	1	5	1	2	40
14	जांजगीर–चांपा	36	15	17	6	9	3	10	4	7	100
15	कोण्डागांव	3	1	1	0	15	6	3	1	2	30
16	जगदलपुर	11	4	1	0	31	13	6	4	4	70
17	बलरामपुर	4	2	1	0	13	6	3	1	2	30
18	सूरजपुर	26	10	4	1	32	13	10	4	7	100
19	जशपुर	5	1	2	0	13	5	3	1	2	30
20	सरगुजा	4	1	1	0	8	3	2	1	1	20
	योग	724	298	218	78	300	118	206	78	135	2020

सहायक शिक्षक (टी–संवर्ग) –विषय विज्ञान अराजपत्रित तृतीय श्रेणी (वेतन मेट्रिक्स लेवल–06)

1	महासमुंद	3	0	1	0	2	0	1	0	0	7
2	गरियाबंद	26	11	7	2	25	10	10	3	6	94
3	धमतरी	21	8	3	1	10	4	5	2	3	54
4	राजनांदगांव	30	12	6	2	17	6	9	3	5	85
5	कोरबा	42	18	13	5	52	21	17	7	12	175
6	कांकेर	14	6	3	0	30	12	7	3	5	75
7	नारायणपुर	8	3	3	1	50	21	10	4	7	100
8	कोण्डागांव	1	0	1	0	7	3	2	0	1	14
9	जगदलपुर	52	21	5	2	155	66	35	14	24	350
10	दंतेवाड़ा	1	0	1	0	12	5	3	0	1	22
11	बीजापुर	5	1	5	2	59	24	11	4	7	111
12	सुकमा	17	6	5	2	194	83	17	6	23	330
13	कोरिया	24	10	6	2	31	13	10	4	7	100
14	बलरामपुर	9	3	3	0	28	11	7	2	4	63
15	सूरजपुर	26	10	4	1	32	13	10	4	7	100
16	जशपुर	40	17	11	4	131	55	30	12	21	300
	योग	319	126	77	24	835	347	184	68	133	1980

सहायक शिक्षक विज्ञान (प्रयोगशाला)– ई–संवर्ग अराजपत्रित तृतीय श्रेणी (वेतन मेट्रिक्स लेवल–06)

स.	जिले का नाम	अनारक्षित	अनुसूचित	अनुसूचित	अन्य पिछड़ा	दिव्यांग	योग

क.				जाति		जनजाति		वर्ग		हेतु आरक्षित	
		मुक्त	महिला	मुक्त	महिला	मुक्त	महिला	मुक्त	महिला		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	महासमुंद	17	6	5	1	10	4	5	2	4	50
2	बलौदाबाजार	30	12	12	5	7	3	8	3	6	80
3	गरियाबंद	11	4	3	1	11	4	5	1	3	40
4	रायपुर	42	17	10	4	3	1	10	3	6	90
5	धमतरी	15	6	3	0	7	3	5	1	2	40
6	कबीरधाम	15	6	4	1	6	2	5	1	2	40
7	बेमेतरा	19	7	5	2	2	0	4	1	2	40
8	दुर्ग	24	9	5	2	3	0	5	2	3	50
9	बालोद	13	5	3	0	9	3	4	1	2	38
10	राजनांदगांव	17	7	4	1	10	4	5	2	3	50
11	बिलासपुर	20	8	7	3	10	4	6	2	4	60
12	मुंगेली	18	7	9	3	5	1	5	2	3	50
13	सक्ती	11	4	5	2	3	1	3	1	2	30
14	जांजगीर–चांपा	11	4	5	2	3	1	3	1	2	30
15	रायगढ़	11	4	4	1	10	4	5	1	2	40
16	कांकेर	1	0	0	0	0	2	1	0	0	4
17	जगदलपुर	2	0	0	0	4	1	1	0	0	8
18	कोरिया	3	1	1	0	3	1	1	0	0	10
19	बलरामपुर	1	0	0	0	3	0	1	0	0	5
20	सूरजपुर	3	1	1	0	3	1	1	0	0	10
21	जशपुर	1	0	0	0	2	0	1	0	0	4
22	सरगुजा	4	1	1	0	8	3	2	1	1	20
	योग	289	109	87	28	122	43	86	25	47	789

सहायक शिक्षक विज्ञान (प्रयोगशाला) टी–संवर्ग अराजपत्रित तृतीय श्रेणी (वेतन मेट्रिक्स लेवल–06)

1	गरियाबंद	6	2	2	0	5	2	3	0	1	20
2	बालोद	4	1	1	0	3	0	1	0	0	10
3	राजनांदगांव	4	1	1	0	3	0	1	0	0	10
4	बिलासपुर	4	1	2	0	2	0	1	0	0	10
5	कोरबा	12	4	3	1	14	5	5	1	3	45
6	रायगढ़	19	7	7	3	17	7	7	3	4	70
7	बलरामपुर	7	2	2	0	20	8	5	1	3	45
8	सूरजपुर	8	3	2	0	10	3	3	1	2	30
9	जशपुर	7	2	2	0	20	8	5	1	3	45
10	सरगुजा	2	0	1	0	5	1	1	0	0	10
11	कांकेर	6	2	1	0	13	5	3	1	2	31
12	नारायणपुर	1	0	0	0	5	2	2	0	0	10
13	कोण्डागांव	3	1	1	0	15	6	3	1	2	30
14	जगदलपुर	5	1	1	0	14	5	3	1	2	30
15	दंतेवाड़ा	1	0	0	0	6	2	1	0	0	10
16	सुकमा	1	0	0	0	3	1	0	0	0	5
	योग	90	27	26	4	155	55	44	10	22	411

शिक्षक अंग्रेजी माध्यम अराजपत्रित तृतीय श्रेणी (वेतन मेट्रिक्स लेवल–08)

क्र	संभाग	विषय	अनारक्षित		अनुसूचित जाति		अनुसूचित जनजाति		अन्य पिछड़ा वर्ग		दिव्यांग हेतु आरक्षित	योग
			मुक्त	महिला	मुक्त	महिला	मुक्त	महिला	मुक्त	महिला		
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	रायपुर	अंग्रेजी	11	4	3	0	3	1	3	1	1	26
2	दुर्ग	अंग्रेजी	11	4	3	0	4	1	3	1	1	27
3	बिलासपुर	अंग्रेजी	11	4	5	1	6	2	4	1	2	34
4	बस्तर	अंग्रेजी	4	1	1	0	15	6	4	1	2	32
5	सरगुजा	अंग्रेजी	6	2	2	0	13	5	4	1	2	33
	योग		43	15	14	1	41	15	18	5	8	152
1	रायपुर	कला	11	4	3	0	3	1	3	1	1	26
2	दुर्ग	कला	11	4	3	0	4	1	3	1	1	27

3	बिलासपुर		11	4	5	1	6	2	4	1	2	34
4	बस्तर		4	1	1	0	15	6	4	1	2	32
5	सरगुजा		6	2	2	0	13	5	4	1	2	33
	योग		43	15	14	1	41	15	18	5	8	152
1	रायपुर	विज्ञान	11	4	3	0	3	1	3	1	1	26
2	दुर्ग		11	4	3	0	4	1	3	1	1	27
3	बिलासपुर		11	4	5	1	6	2	4	1	2	34
4	बस्तर		4	1	1	0	15	6	4	1	2	32
5	सरगुजा		6	2	2	0	13	5	4	1	2	33
	योग		43	15	14	1	41	15	18	5	8	152

सहायक शिक्षक अंग्रेजी माध्यम (कला समूह) अराजपत्रित तृतीय श्रेणी (वेतन मेट्रिक्स लेवल–06)

स. क्र.	जिला का नाम	अनारक्षित		अनुसूचित जाति		अनुसूचित जनजाति		अन्य पिछड़ा वर्ग		दिव्यांग हेतु आरक्षित	योग
		मुक्त	महिला	मुक्त	महिला	मुक्त	महिला	मुक्त	महिला		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	महासमुंद	2	0	1	0	1	0	1	0	0	5
2	बलौदाबाजार	3	0	1	0	1	0	1	0	0	6
3	गरियाबंद	2	0	0	0	2	0	1	0	0	5
4	रायपुर	3	1	1	0	1	0	1	0	0	7
5	धमतरी	2	0	0	0	1	0	1	0	0	4
6	कबीरधाम	2	0	0	0	1	0	1	0	0	4
7	बेमेतरा	3	0	1	0	0	0	0	0	0	4
8	दुर्ग	2	0	1	0	1	0	1	0	0	5
9	बालोद	2	0	0	0	2	0	1	0	0	5
10	राजनांदगांव	3	1	1	0	3	0	1	0	0	9
11	बिलासपुर	3	1	1	0	2	0	1	0	0	8
12	मुंगेली	1	0	1	0	1	0	0	0	0	3
13	कोरबा	2	0	0	0	2	0	1	0	0	5
14	सक्ती	1	0	1	0	1	0	1	0	0	4
15	जांजगीर–चांपा	2	0	1	0	1	0	1	0	0	5
16	रायगढ़	3	1	1	0	3	0	1	0	0	9
17	कांकेर	2	0	0	0	3	1	1	0	0	7
18	नारायणपुर	0	0	0	0	2	0	0	0	0	2
19	कोण्डागांव	1	0	0	0	3	0	1	0	0	5
20	जगदलपुर	2	0	0	0	3	1	1	0	0	7
21	दंतेवाड़ा	0	0	0	0	3	0	1	0	0	4
22	बीजापुर	0	0	0	0	3	0	1	0	0	4
23	सुकमा	0	0	0	0	3	0	0	0	0	3
24	कोरिया	2	0	0	0	3	0	1	0	0	6
25	बलरामपुर	1	0	0	0	4	0	1	0	0	6
26	सूरजपुर	2	0	0	0	3	0	1	0	0	6
27	जशपुर	1	0	1	0	4	1	1	0	0	8
28	सरगुजा	2	0	0	0	3	1	1	0	0	7
	योग	**49**	**4**	**12**	**0**	**60**	**4**	**24**	**0**	**0**	**153**

सहायक शिक्षक अंग्रेजी माध्यम (विज्ञान समूह) अराजपत्रित तृतीय श्रेणी (वेतन मेट्रिक्स लेवल–06)

स. क्र.	जिला का नाम	अनारक्षित		अनुसूचित जाति		अनुसूचित जनजाति		अन्य पिछड़ा वर्ग		दिव्यांग हेतु आरक्षित	कुल योग
		मुक्त	महिला	मुक्त	महिला	मुक्त	महिला	मुक्त	महिला		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	महासमुंद	2	0	1	0	1	0	1	0	0	5
2	बलौदाबाजार	3	0	1	0	1	0	1	0	0	6
3	गरियाबंद	2	0	0	0	2	0	1	0	0	5

4	रायपुर	3	1	1	0	1	0	1	0	0	7
5	धमतरी	2	0	0	0	1	0	1	0	0	4
6	कबीरधाम	2	0	0	0	1	0	1	0	0	4
7	बेमेतरा	3	0	1	0	0	0	0	0	0	4
8	दुर्ग	2	0	1	0	1	0	1	0	0	5
9	बालोद	2	0	0	0	2	0	1	0	0	5
10	राजनांदगांव	3	1	1	0	3	0	1	0	0	9
11	बिलासपुर	3	1	1	0	2	0	1	0	0	8
12	मुंगेली	1	0	1	0	1	0	0	0	0	3
13	कोरबा	2	0	0	0	2	0	1	0	0	5
14	सक्ती	1	0	1	0	1	0	1	0	0	4
15	जांजगीर–चांपा	2	0	1	0	1	0	1	0	0	5
16	रायगढ़	3	1	1	0	3	0	1	0	0	9
17	कांकेर	2	0	0	0	3	1	1	0	0	7
18	नारायणपुर	0	0	0	0	2	0	0	0	0	2
19	कोण्डागांव	1	0	0	0	3	0	1	0	0	5
20	जगदलपुर	2	0	0	0	3	1	1	0	0	7
21	दंतेवाड़ा	0	0	0	0	3	0	1	0	0	4
22	बीजापुर	0	0	0	0	3	0	1	0	0	4
23	सुकमा	0	0	0	0	3	0	0	0	0	3
24	कोरिया	2	0	0	0	3	0	1	0	0	6
25	बलरामपुर	1	0	0	0	4	0	1	0	0	6
26	सूरजपुर	2	0	0	0	3	0	1	0	0	6
27	जशपुर	1	0	1	0	4	1	1	0	0	8
28	सरगुजा	2	0	0	0	3	1	1	0	0	7
	योग	49	4	12	0	60	4	24	0	0	153

1. **सीधी भर्ती के लिए पात्रता की शर्ते.–** सीधी भर्ती में अभ्यर्थी को निम्नलिखित शर्ते पूरी करनी होंगी,

(एक) आयु:– (1) 01 जनवरी, 2019 को न्यूनतम आयु 21 वर्ष पूरी कर ली हो तथा 35 वर्ष की आयु पूरी न की हो ।

(2) यदि अभ्यर्थी अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों या अन्य पिछड़े वर्गों (गैर–क्रीमी–लेयर) का हो, तो उच्चतर आयु सीमा अधिकतम 5 वर्ष तक शिथिलनीय होगी;

(3) छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (महिलाओं की नियुक्ति के लिये विशेष उपबंध) नियम, 1997 के उपबंधों के अनुसार महिला अभ्यर्थियों के लिये, उच्चतर आयु सीमा अधिकतम 10 वर्ष तक शिथिलनीय होगी;

(4) निःशक्त व्यक्तियों को सामान्य प्रशासन विभाग के निर्देशों के अनुसार अधिकतम आयु सीमा में छूट दी जायेगी;

(5) ऐसे अभ्यर्थियों के संबंध में भी, जो छत्तीसगढ़ शासन के कर्मचारी हों या रह चुके हों, नीचे विनिर्दिष्ट की गई सीमा तथा शर्तों के अध्यधीन रहते हुए, उच्चतर आयु सीमा शिथिलनीय होगी:—

(एक) ऐसा अभ्यर्थी, जो स्थायी या अस्थायी शासकीय सेवक हो, 38 वर्ष से अधिक आयु का नहीं होना चाहिये;

(दो) ऐसा अभ्यर्थी, जो अस्थायी रूप से पद धारण कर रहा हो और किसी अन्य पद के लिये आवेदन कर रहा हो, 38 वर्ष से अधिक आयु का नहीं होना चाहिए। यह रियायत, कार्यभारित कर्मचारियों, आकस्मिकता निधि से वेतन पाने वाले कर्मचारियों तथा परियोजना कार्यान्वयन समितियों में कार्यरत कर्मचारियों को भी अनुज्ञेय होगी;

(तीन) ऐसा अभ्यर्थी, जो "छंटनी किया गया शासकीय सेवक" हो, उसे अपनी आयु में से उसके द्वारा पूर्व में की गई संपूर्ण अस्थायी सेवा की अधिकतम 7 वर्ष तक की कालावधि, भले ही वह कालावधि एक से अधिक बार की गई सेवाओं का योग हो, कम करने के लिये अनुज्ञात किया जायेगा, परन्तु इसके परिणामस्वरूप जो आयु निकले, वह उच्चतर आयु सीमा से 3 वर्ष से अधिक न हो।

स्पष्टीकरण:—"छंटनी किये गये शासकीय सेवक" से अभिप्रेत है, ऐसा व्यक्ति जो इस राज्य की अथवा किन्हीं भी संघटक इकाईयों की अस्थाई शासकीय सेवा में कम से कम 6 माह की कालावधि तक निरंतर रहा हो और जिसे किसी रोजगार कार्यालय में अपना पंजीयन कराने या शासकीय सेवा में नियोजन हेतु अन्यथा आवेदन करने की तारीख से अधिक से अधिक 3 वर्ष पूर्व स्थापना में कमी किये जाने के कारण सेवोन्मुक्त किया गया हो।

(6) ऐसा अभ्यर्थी, जो भूतपूर्व सैनिक हो, उसे अपनी आयु में से उसके द्वारा पूर्व में की गई संपूर्ण प्रतिरक्षा सेवा की कालावधि कम करने के लिए अनुज्ञात किया जायेगा, परन्तु इसके परिणामस्वरूप जो आयु निकले, वह उच्चतर आयु सीमा से 3 वर्ष से अधिक न हो।

स्पष्टीकरणः—"भूतपूर्व सैनिक" से अभिप्रेत है, ऐसा व्यक्ति जो निम्नलिखित प्रवर्गो में से किसी एक प्रवर्ग का हो तथा जो भारत सरकार के अधीन कम से कम 6 माह की कालावधि तक निरंतर नियोजित रहा हो और जिसे किसी रोजगार कार्यालय में अपना पंजीयन कराने या शासकीय सेवा में नियोजन हेतु अन्यथा आवेदन करने की तारीख से अधिक से अधिक 3 वर्ष पूर्व मितव्ययिता इकाई की सिफरिशों के फलस्वरूप या स्थापना में सामान्य रूप से कमी किये जाने के कारण छंटनी किया गया हो अथवा जिसे अतिशेष (सरप्लस) घोषित किया गया होः—

(1) ऐसे भूतपूर्व सैनिक, जिन्हें समय पूर्व सेवानिवृत्ति रियायतों के अधीन निर्मुक्त कर दिया हो;

(2) ऐसे भूतपूर्व सैनिक, जिन्हें दुबारा नामांकित किया गया हो, और जिन्हें—

(क) अल्पकालीन वचनबंध अवधि पूर्ण हो जाने पर;

(ख) नामांकन की शर्तें पूर्ण हो जाने पर, सेवोन्मुक्त कर दिया गया हो।

(3) ऐसे भूतपूर्व सैनिक (सैनिक तथा असैनिक), जिन्हें उनकी संविदा पूरी हो जाने पर सेवोन्मुक्त किया गया हो (जिनमें अल्पावधि सेवा के नियमित कमीशन प्राप्त अधिकारी भी शामिल है);

S.D.

(4) अवकाश रिक्तियों पर 6 माह से अधिक समय तक निरंतर कार्य करने के पश्चात् सेवोन्मुक्त किये गये भूतपूर्व सैनिक/अधिकारी;

(5) ऐसे भूतपूर्व सैनिक, जिन्हें अशक्त होने के कारण सेवा से अलग कर दिया गया हो;

(6) ऐसे भूतपूर्व सैनिक, जिन्हें इस आधार पर सेवोन्मुक्त किया गया हो कि अब वे दक्ष सैनिक बनने योग्य नहीं है;

(7) ऐसे भूतपूर्व सैनिक, जिन्हें गोली लग जाने, घाव आदि हो जाने के कारण चिकित्सीय आधार पर सेवा से अलग कर दिया गया हो।

(7) अस्पृश्यता निवारण नियम, 1984 के अधीन अंतर्जातीय विवाह प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत पुरस्कृत दम्पत्तियों के सवर्ण पति/पत्नी के संबंध में उच्चतर आयु सीमा 5 वर्ष तक शिथिलनीय होगी।

(8) शहीद राजीव पाण्डे पुरस्कार, गुण्डाधुर सम्मान, महाराजा प्रवीरचंद भंजदेव सम्मान तथा राष्ट्रीय युवा पुरस्कार प्राप्त अभ्यर्थियों के संबंध में भी, उच्चतर आयु सीमा 5 वर्ष तक शिथिलनीय होगी।

(9) ऐसे अभ्यर्थी, जो छत्तीसगढ़ राज्य निगम/मण्डल के कर्मचारी हैं, के संबंध में उच्चतर आयु सीमा 38 वर्ष की आयु तक शिथिलनीय होगी।

(10) स्वयंसेवी नगर सैनिकों एवं नगर सेना के नान कमीशण्ड अधिकारियों के संबंध में उनके द्वारा पूर्व में इस प्रकार की गई नगर सेना सेवा की कालावधि के लिए उच्चतर आयु सीमा में 8 वर्ष की सीमा के अध्यधीन रहते हुए छूट दी जाएगी, किन्तु किसी भी दशा में उनकी आयु 38 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिये।

टीपः–(1) ऐसे अभ्यर्थी, जिन्हें उपरोक्त नियमके खण्ड (एक) के उप–खण्ड (ङ) के पैरा (एक) तथा (दो) में उल्लिखित आयु संबंधी रियायतों के अधीन परीक्षा/चयन में प्रवेश दिया गया हो,

यदि वे आवेदन पत्र प्रस्तुत करने के पश्चात्, या तो परीक्षा/चयन के पूर्व या उसके पश्चात्, सेवा से त्यागपत्र दे देते हैं, तो वे नियुक्ति हेतु पात्र नहीं होंगे। तथापि, यदि आवेदन पत्र भेजने के पश्चात् सेवा या पद से उनकी छंटनी कर दी जाती हो, तो वे पात्र बने रहेंगे।

(2) किसी भी अन्य मामले में ये आयु सीमा शिथिल नहीं की जायेंगी। विभागीय अभ्यर्थियों को चयन हेतु उपस्थित होने के लिए, नियुक्ति प्राधिकारी की पूर्व अनुमति अभिप्राप्त करनी होगी।

(11) सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ 1–2/2002/1/3 दिनांक 02.06.2004 एवं क्रमांक एफ 1–2/2002/1/3 दिनांक 10 फरवरी 2006 के अनुसार शिक्षा कर्मियों/पंचायत कर्मियों को शासकीय सेवा में भर्ती के लिए उतने वर्ष की छूट दी जाएगी, जितने वर्ष शिक्षाकर्मी/पंचायतकर्मी के रूप में सेवा की है, इसके लिए 6 माह से अधिक सेवा को एक वर्ष की सेवा मान्य की जा सकेगी।

(12) उपरोक्त संवर्गो के किसी एक या एक से अधिक आधार पर छूट प्राप्त करने के उपरान्त, शासकीय सेवा में प्रवेश के लिए, अधिकतम आयु 45 वर्ष से अधिक नहीं होगी;

(13) उपरोक्त के अतिरिक्त, आयु सीमा के संबंध में, शासन के सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय–समय पर जारी निर्देश भी लागू होंगे।

2. **न्यूनतम शैक्षणिक अर्हतायें:–** अभ्यर्थी के पास सेवा के लिये निम्नानुसार न्यूनतम शैक्षणिक अर्हताएँ होना आवश्यक है:–

(एक) सहायक शिक्षक

(क) न्यूनतम 50% अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक (अथवा इसके समकक्ष) तथा प्रारंभिक शिक्षाशास्त्र(चाहे उसे किसी भी नाम से जाना जाता हो) में द्विवर्षीय डिप्लोमा

अथवा

न्यूनतम 45% अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक (अथवा इसके समकक्ष) एवं प्रारंभिक शिक्षाशास्त्र (चाहे उसे किसी भी नाम से जाना जाता हो) में द्विवर्षीय डिप्लोमा जो राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् (मान्यता, मानदण्ड और क्रियाविधि) विनियम, 2002 के अनुसार प्राप्त किया गया हो।

अथवा

न्यूनतम 50% अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक (अथवा इसके समकक्ष) एवं प्रारंभिक शिक्षाशास्त्र (बी.एल.एड.) में चार वर्षीय स्नातक

अथवा

न्यूनतम 50% अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक (अथवा इसके समकक्ष) तथा प्रारंभिक शिक्षाशास्त्र (विशेष शिक्षाशास्त्र) में द्विवर्षीय डिप्लोमा

अथवा

स्नातक तथा प्रारंभिक शिक्षाशास्त्र (चाहे उसे किसी भी नाम से जाना जाता हो) में द्विवर्षीय डिप्लोमा

अथवा

न्यूनतम 50% अकों के साथ स्नातक तथा बी.एड अर्हता (राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त संस्थान से स्नातक) भी कक्षा 1 से 5 तक पढ़ाने के लिये अध्यापक के रूप में पात्र होंगे परन्तु यह कि उसे नियुक्ति के पश्चात् राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त प्राथमिक शिक्षाशास्त्र में 6 महीने के एक विशेष कार्यक्रम पूरा करना होगा।

तथा

(ख) राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा इस प्रयोजन के लिए जारी किये गये मार्गदर्शी सिद्धांतो के अनुसार समुचित सरकार द्वारा आयोजित अध्यापक पात्रता परीक्षा (टी.ई.टी.) में उत्तीर्ण।

टीपः–1. उच्चतर माध्यमिक अथवा समकक्ष परीक्षा विज्ञान विषय के साथ उपरोक्त मापदण्ड में उत्तीर्ण होना आवश्यक होगा। कृषि संकाय के साथ उच्चतर माध्यमिक परीक्षा उत्तीर्ण करने पर उसे विज्ञान संकाय में मान्य किया जायेगा। व्यवसायिक शिक्षा से उच्चतर माध्यमिक परीक्षा उत्तीर्ण अभ्यर्थी को पात्रता नहीं होगी।

2. सहायक शिक्षक अंग्रेजी माध्यम के पदों हेतु अभ्यर्थी को अंग्रेजी माध्यम से उच्चतर माध्यमिक (अथवा इसके समकक्ष) परीक्षा उत्तीर्ण होना आवश्यक

होगा तथा शेष मापदण्ड उक्त बिंदु 2.(एक) सहायक शिक्षक हेतु निर्धारित अनुसार होना आवश्यक है।

3. सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ 13–55/2012/20–तीन रायपुर दिनांक 10.01.2013 के द्वारा विशेष पिछड़ी जनजातियों को डी.एड. एवं टी.ई.टी. से नियुक्ति के समय छूट रहेगी।

4. सहायक शिक्षक के पद हेतु कक्षा पहली से पांचवी तक अध्यापन हेतु टी.ई.टी. उत्तीर्ण होना आवश्यक है।

(दो) शिक्षक

(क) स्नातक और प्रारंभिक शिक्षाशास्त्र (चाहे उसे किसी भी नाम से जाना जाता हो) में द्विवर्षीय डिप्लोमा

अथवा

न्यूनतम 50% अंकों के साथ स्नातक एवं शिक्षा (बी.एड) में एक वर्षीय स्नातक

अथवा

न्यूनतम 45% अंकों के साथ स्नातक एवं शिक्षा (बी.एड) में एक वर्षीय स्नातक, जो इस संबंध में समय–समय पर जारी किये गये राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (मान्यता, मानदण्ड तथा क्रियाविधि) विनियमों के अनुसार प्राप्त किया गया हो।

अथवा

न्यूनतम 50% अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक अथवा इसके समकक्ष एवं चार वर्षीय बी.ए./बी.एस.सी.एड. या बी.ए.एड./बी.एस.सी.एड

अथवा

न्यूनतम 50% अंकों के साथ स्नातक तथा एक वर्षीय बी.एड.(विशेष शिक्षा)

तथा

(ख) राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा इस प्रयोजन के लिए जारी किये गये मार्गदर्शी सिद्धांतो के अनुसार समुचित सरकार द्वारा आयोजित अध्यापक पात्रता परीक्षा (टी.ई.टी.) में उत्तीर्ण।

उपरोक्त स्नातक उपाधि में स्नातक के विषय निम्नानुसार होंगे–

स.क्र.	**विषय**	**विषय समूह**
(1)	(2)	(3)
1.	अंग्रेजी	अंग्रेजी साहित्य स्नातक स्तर पर एक विषय रहा हो
2.	जीवविज्ञान	रसायनशास्त्र, वनस्पति विज्ञान, प्राणी विज्ञान, सैन्य विज्ञान एवं भू–गर्भ विज्ञान में से कोई दो विषय स्नातक स्तर पर हो।
3.	गणित	गणित के साथ निम्नलिखित में से कोई दो विषय– भौतिकी / रसायन / इलेक्ट्रॉनिक्स / कम्प्यूटर साईंस / सांख्यिकी / सैन्य विज्ञान / भू–गर्भ विज्ञान।
4.	कृषि	कृषि
5.	व्यायाम	उच्चतर माध्यमिक परीक्षा उत्तीर्ण एवं डी.पी.एड. अथवा बी.पी. एड. सहित स्नातक

टीपः–1. सरल कमांक 4 एवं 5 में उल्लेखित विषय हेतु बी.एड./डी.एड. एवं टी.ई.टी. की अर्हता आवश्यक नही होगी।

2. शिक्षक अंग्रेजी माध्यम के पदों हेतु अभ्यर्थी को अंग्रेजी माध्यम से स्नातक उत्तीर्ण होना आवश्यक होगा।

3. सरल कमांक 1 से 3 में उल्लेखित विषय के शिक्षक के पद हेतु कक्षा छठवीं से आठवीं तक अध्यापन हेतु टी.ई.टी. उत्तीर्ण होना आवश्यक है।

(तीन) सहायक शिक्षक विज्ञान (प्रयोगशाला) :– जीव विज्ञान/गणित विषय के साथ उच्चतर माध्यमिक प्रमाण पत्र परीक्षा उत्तीर्ण हों।

(चार) व्याख्याता

किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से द्वितीय श्रेणी में निम्नलिखित विषयों में से किसी एक विषय में स्नातकोत्तर/समकक्ष एवं बी.एड.

स.क्र.	विषय	विषय समूह
(1)	(2)	(3)
1	अंग्रेजी	अंग्रेजी
2	भौतिकी	भौतिकी/इलेक्ट्रॉनिक्स/एप्लाइड भौतिकी/न्यूक्लियर भौतिकी
3	रसायन	रसायन/बायोकेमेस्ट्री
4	जीव विज्ञान	वनस्पतिशास्त्र/प्राणीशास्त्र/लाइफसाइन्स/जैविकी/अनुवांशिकी (जेनेटिक्स)/सूक्ष्मजैविकी(माइक्रोबायोलॉजी)/जैवप्रोद्योगिकी (बायोटेक्नॉलाजी)/आणविक जीवविज्ञान (मालिकुलर बायोलॉजी)/पादप कार्यिकी (प्लान्ट फिजियोलॉजी) तथा स्नातक स्तर में प्राणीशास्त्र अथवा वनस्पति शास्त्र विषय रहा हो।
5	वाणिज्य	एकाउन्टेसी सहित वाणिज्य/कास्ट एकाउटिंग/फाइनेन्सियल एकाउन्टेंसी मुख्य विषय के रूप में रहा हो।
6	गणित	गणित/एप्लाईड गणित

3. **निरर्हताएं**:– (1) अभ्यर्थी की ओर से अपनी अभ्यर्थिता के लिये किन्हीं भी साधनों से समर्थन अभिप्राप्त करने के किसी भी प्रयास को, नियुक्तिकर्ता द्वारा चयन के लिये निरर्हित माना जा सकेगा।

(2) कोई भी पुरूष अभ्यर्थी, जिनकी एक से अधिक पत्नियां जीवित हों और कोई भी महिला अभ्यर्थी, जिसने ऐसे पुरूष से विवाह किया हो जिसकी पहले ही एक पत्नी जीवित हो, किसी सेवा या पद में नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा/होगी:

परन्तु यदि शासन का यह समाधान हो जाये कि ऐसा करने के विशेष कारण हैं, तो शासन, ऐसे अभ्यर्थियों को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगा।

(3) कोई भी अभ्यर्थी, किसी सेवा या पद पर तब तक नियुक्त नहीं किया जाएगा जब तक कि उसे ऐसी स्वास्थ्य परीक्षा में, जो कि विहित की जाए, मानसिक या शारीरिक रूप से स्वस्थ्य, तथा किसी मानसिक या शारीरिक दोष जो किसी सेवा या पद के कर्तव्य को पूरा करने में बाधा डाल सकता हो से मुक्त, घोषित न कर दिया जाये:

परन्तु आपवादिक मामलों में अभ्यर्थी को उसकी स्वास्थ्य परीक्षा के पूर्व किसी सेवा या पद पर इस शर्त के अधीन अस्थायी नियुक्ति दी जा सकगी कि यदि वह चिकित्सीय रूप से अस्वस्थ्य पाया जाता है, तो उसकी सेवाएं तत्काल समाप्त की जा सकेंगी।

(4) कोई भी अभ्यर्थी, किसी सेवा या पद के लिए उस स्थिति में पात्र नहीं होगा, यदि नियुक्ति प्राधिकारी का, ऐसी सम्यक् जांच, जैसा कि वह आवश्यक समझे, के पश्चात् यह समाधान हो जाये कि वह (अभ्यर्थी) ऐसी सेवा या पद के लिए उपयुक्त नहीं है।

(5) कोई भी अभ्यर्थी, जिसे महिलाओं के विरूद्ध किसी अपराध का सिद्ध दोष ठहराया गया हो, किसी सेवा या पद के लिए पात्र नहीं होगा:

परन्तु यदि किसी अभ्यर्थी के विरूद्ध न्यायालय में ऐसे मामले लंबित हों, तो उसकी नियुक्ति का मामला तब तक लंबित रखा जायेगा जब तक कि उस अपराधिक मामले का न्यायालय द्वारा अंतिम विनिश्चय न कर दिया जाये।

(6) कोई भी अभ्यर्थी, जिसने विवाह के लिए नियत की गई न्यूनतम आयु से पूर्व विवाह कर लिया हो, किसी सेवा या पद लिए पात्र नहीं होगा।

(7) छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम, 1961 में दिये गये प्रावधान एवं शासन द्वारा समय–समय पर जारी किये गये निर्देशों के अनुसार निरर्हतायें, अभ्यर्थियों के लिये लागू होंगी।

4. **अभ्यर्थी की पात्रता के बारे में नियुक्तिकर्ता का विनिश्चय अंतिम होगा.–**

(1) चयन के लिये अभ्यर्थी की पात्रता अथवा अन्यथा के संबंध में **नियुक्तिकर्ता** का विनिश्चय अंतिम होगा तथा ऐसे किसी भी अभ्यर्थी को, जिसे परीक्षा हेतु प्रवेश प्रमाण–पत्र जारी नहीं किया गया हो, परीक्षा में शामिल होने के लिए अनुज्ञात नहीं किया जायेगा।

(2) चयन प्रक्रिया के किसी समय पर अथवा **नियुक्तिकर्ता** को चयन सूची भेजने के बाद भी, यदि **नियुक्तिकर्ता** के संज्ञान में यह तथ्य आता है कि अभ्यर्थी ने असत्य जानकारी दी है अथवा उसके द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों में कोई विसंगति पायी गई है, तो वह निरर्हित हो जायेगा एवं उसका चयन/नियुक्ति, **नियुक्तिकर्ता** द्वारा समाप्त कर दी जायेगी।

5. **पदों हेतु आरक्षण :–**

(1) सेवा में भर्ती के समय, छत्तीसगढ़ लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गो के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1994 (क्र. 21 सन् 1994) के उपबंध तथा उक्त अधिनियम के अधीन, शासन के सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय–समय पर जारी निर्देश भी लागू होंगे।

(2) छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (महिलाओं की नियुक्ति के लिए विशेष उपबंध) नियम, 1997 के उपबंध के अनुसार महिला अभ्यर्थियों के लिये 30 प्रतिशत पद आरक्षित रखे जायेंगे। यह आरक्षण, समस्तर और प्रभागवार होगा। नियम के उपबंध के अध्यधीन रहते हुए, नियुक्तियों में विधवा अथवा तलाकशुदा महिला अभ्यर्थियों को अधिमान दिया जायेगा।

(3) उपरोक्त के अतिरिक्त, दिव्यांगजन/भूतपूर्व सैनिक के लिये पदों को, शासन द्वारा समय–समय पर बनाये गये अधिनियम/नियम/जारी आदेश/निर्देश के अनुसार आरक्षित रखा जायेगा। दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 (2016

S/-

का सं. 49) के प्रावधानों के अन्तर्गत राज्य में लागू प्रतिशत के अनुसार, पदों का आरक्षण, 7 प्रतिशत रहेगा।

6. **चयन सूचीः–**

(1) नियोक्ता द्वारा जारी चयन सूची, जारी दिनांक से 6 माह के लिये वैध होगी।

(2) प्रतीक्षा सूची की वैधता चयन सूची जारी होने के दिनांक से 9 माह की होगी।

(3) व्यापम से प्राप्त परीक्षाफल सूची, परीक्षाफल जारी होने के दिनांक से एक वर्ष तक वैध होगी।

(4) चयन के समय किसी पद पर समान अंक के अभ्यर्थी होने की स्थिति में जिस अभ्यर्थी की जन्मतिथि पहले होगी उसका चयन किया जायेगा।

7. **परिवीक्षा.–** (1) (क) सेवा में सीधे भर्ती किया गया प्रत्येक व्यक्ति, दो वर्ष की कालावधि के लिये परिवीक्षा पर नियुक्त किया जायेगा।

(ख) यदि कार्य असंतोषप्रद पाया जाता है, तो नियोक्ता द्वारा परिवीक्षा अवधि, अधिकतम एक वर्ष तक की अवधि के लिए बढ़ाई जा सकेगी।

(ग) परिवीक्षा की कालावधि या बढ़ाई गई अवधि के दौरान या परिवीक्षा अवधि के अंत में, यदि शासन की राय में कोई विशिष्ट अभ्यर्थी, अधिकारी बनने के योग्य न हो, तो ऐसे परिवीक्षाधीन की सेवायें समाप्त की जा सकेंगी।

8. **अन्य निर्देश.–** (1) पदों की संख्या परिवर्तनीय है।

(2) अभ्यर्थी को छत्तीसगढ़ का निवासी होना आवश्यक है।

(3) पदों पर नियुक्तियां छत्तीसगढ़ स्कूल शिक्षा सेवा (शैक्षिक एवं प्रशासनिक संवर्ग) भर्ती तथा पदोन्नति नियम 2019 के अनुसार की जायेगी।

(4) उपरोक्त विज्ञापित पदों के लिए किया जाने वाला चयन माननीय उच्च न्यायालय बिलासपुर में दायर याचिकाओं (डब्ल्यू.पी.एस. क्रमांक 591/2012, डब्ल्यू.पी.एस. क्रमांक 592/2012, डब्ल्यू.पी.एस. क्रमांक 593/2012 तथा डब्ल्यू.पी.एस. क्रमांक 594/2012) में पारित होने वाले अंतिम आदेश/निर्णय के अध्याधिन रहेगी।

(5) ऑन–लाईन आवेदन करने के पूर्व अभ्यर्थी नियम/निर्देशों का अवलोकन कर स्वयं सूनिश्चित कर ले कि उन्हें परीक्षा में सम्मिलित होने की पात्रता है अथवा नहीं । यदि कोई अभ्यर्थी परीक्षा फल घोषित होने के बाद भी अनर्ह पाया जाता है अथवा उसके द्वारा दी गई कोई भी जानकारी गलत पायी जाती है तो उसकी अभ्यर्थिता/चयन/नियुक्ति निरस्त किया जा सकेगा।

(6) नियुक्त उम्मीदवारों को उनके पद नाम के सम्मुख अंकित वेतन मेट्रिक्स के साथ–साथ राज्य शासन द्वारा समय–समय पर प्रसारित आदेशो के अनुसार महंगाई भत्ता एवं अन्य भत्ते देय होंगे।

(7) अभ्यर्थी को आवश्यक न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता एवं अन्य प्रमाण पत्र व्यापम द्वारा परीक्षा–फल जारी होने की तिथि अथवा उसके पूर्व प्राप्त करना अनिवार्य है। व्यापम द्वारा परीक्षा–फल जारी होने की तिथि के पश्चात् प्राप्त अर्हता प्रमाण पत्र मान्य नहीं होंगे।

(8) अभ्यर्थी को सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी स्थाई जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा अन्यथा विज्ञापन के तहत दर्शित छूट (आयु/आरक्षण) का लाभ प्राप्त नहीं होगा।

(9) अनूसूचित जनजाति/अनुसूचित जाति के विवाहित महिला अभ्यर्थियों को अपने नाम के साथ पिता के नाम लगा जाति प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है, एवं तद्नुसार जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किये जाने पर इसे मान्य नहीं किया जाएगा।

(10) यदि अभ्यर्थी छत्तीसगढ़ शासन के अधीन शासकीय विभाग/निगम/मण्डल/ उपक्रम मे कार्यरत हो अथवा भारत सरकार अथवा उनके किसी उपक्रम की सेवा में कार्यरत हो या राष्ट्रीयकृत/ अराष्ट्रीयकृत बैंक, निजी संस्थाओं अथवा किसी भी विश्वविद्यालय में कार्यरत हों तो उन्हें नियुक्ति प्राधिकारी को **अनापत्ति प्रमाण–पत्र** प्रस्तुत करना होगा।

(11) **(अ)** ऐसे अभ्यर्थी को अपराधिक अभियोजन के लिए दोषी ठहराया जायेगा, जिसे व्यापम/नियोक्ता ने निम्नलिखित के लिए दोषी पाया हो :–

(एक) जिसने अपनी अभ्यर्थिता के लिए परीक्षा में किसी भी तरीके से समर्थन प्राप्त किया हो या इसका प्रयास किया हो, या

(दो) पररूप धारण (इम्परसोनेशन) किया हो, या

(तीन) किसी व्यक्ति से पररूप धारण कराया हो/किया हो, या

(चार) फर्जी दस्तावेज या ऐसे दस्तावेज प्रस्तुत किये हों जिनमें फेरबदल किया हो, या

(पांच) चयन के किसी भी स्तर पर असत्य जानकारी दी हो या सारभूत जानकारी छिपायी हो, या

(छः) परीक्षा में प्रवेश पाने के लिये कोई अन्य अनियमित या अनुचित साधन अपनाया हो, या

(सात) परीक्षा कक्ष में अनुचित साधनों का उपयोग किया हो या करने का प्रयास किया हो, या

(आठ) परीक्षा संचालन में लगे कर्मचारियों को परेशान किया हो या धमकाया हो या शारीरिक क्षति पहुंचाई हो, या

(नौ) प्रवेश–पत्र/बुलावा पत्र में अभ्यर्थियों के लिये दी गई किन्ही भी हिदायतों या अन्य अनुदेशों जिनमें परीक्षा संचालन में लगे केन्द्राध्यक्ष/ सहायक केन्द्राध्यक्ष/वीक्षक/ प्राधिकृत अन्य कर्मचारी द्वारा केन्द्राध्यक्ष के द्वारा स्थापित व्यवस्था अनुसर मौखिक रूप से दी गई हिदायतों भी शामिल हैं, का उल्लंघन किया हो, या

(दस) परीक्षा कक्ष में किसी अन्य तरीके से दुर्व्यवहार किया हो, या

(ग्यारह) परीक्षा केन्द्र परिसर में मोबाइल फोन/संचार यंत्र प्रतिबंध का उल्लंघन किया हो।

(ब) उपरोक्त प्रकार से दोषी पाये जाने पर अभ्यर्थी के विरूद्ध अपराधिक अभियोजन के अलावा चयन के लिए अभ्यर्थिता भी निरस्त की जा सकेगी।

संचालक
लोक शिक्षण संचालनालय
छत्तीसगढ़

"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001.

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2010-2012."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 8] रायपुर, गुरुवार, दिनांक 10 जनवरी 2013—पौष 20, शक 1934

स्कूल शिक्षा विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

रायपुर, दिनांक 10 जनवरी 2013

अधिसूचना

क्रमांक एफ 13-55/2012/20-तीन.—भारत के संविधान की पांचवी अनुसूची के पैरा-5 के उप-पैरा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, छत्तीसगढ़ के राज्यपाल, एतद्द्वारा, निर्देश देते हैं कि निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 (केन्द्रीय अधिनियम क्र. 35 सन् 2009) की धारा 23 की उप-धारा (1) में शिक्षकों की नियुक्ति के लिए उल्लिखित अर्हता और सेवा के निबंधन एवं शर्त संबंधी प्रावधान इसमें इसके पश्चात् यथाविनिर्दिष्ट सीमा तक, राज्य के अनुसूचित क्षेत्रों में उपांतरित तथा लागू समझे जायेंगे, अर्थात् :—

"निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 (केन्द्रीय अधिनियम क्र. 35 सन् 2009) की धारा 23 की उप-धारा (1) अथवा इसके अधीन बनाये गये किसी नियम अथवा तत्समय प्रवृत्त किसी आदेश, निर्देश, अधिसूचना में शिक्षक के रूप में नियुक्ति हेतु न्यूनतम अर्हता के संबंध में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, राज्य के अधिसूचित क्षेत्रों में स्थित प्रारंभिक शालाओं में शिक्षक के रूप में नियुक्ति हेतु, समय-समय पर इस प्रकार अधिसूचित विशेष पिछड़ी जनजाति समूह के अभ्यर्थियों को, निम्नलिखित छूट दी जायेगी—

1. उन्हें शिक्षक पात्रता परीक्षा (टी.ई.टी.) उत्तीर्ण करना आवश्यक नहीं होगा;
2. अनिवार्य शैक्षणिक अर्हता के संबंध में, उन्हें अनिवार्य शैक्षणिक अर्हता परीक्षा में न्यूनतम 50 प्रतिशत अंक अभिप्राप्त करना आवश्यक नहीं होगा, परंतु उन्हें उनकी नियुक्ति के दिनांक से 5 वर्ष के भीतर, नियुक्ति हेतु व्यावसायिक अर्हता जैसे डी.एड. अथवा बी.एड., जैसी भी आवश्यक हो, अभिप्राप्त करनी होगी."

20